रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06042026-271581
SG-DL-E-06042026-271581

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 01
No. 02]	DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948	[N. C. T. D. No. 01

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

फा. सं. ए-12011/26/2023-एच (स्था.)-II/डी-362.—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (सी) और (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 387 की उपधारा (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नई दिल्ली नगरपालिकापरिषद, चिकित्सा सेवा विभाग में **दंत शल्य चिकित्सा कक्ष सहायक (DORA)** के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -- (1) इन विनियमों को गृह मंत्रालय, नई दिल्ली नगर पालिकापरिषद, चिकित्सा सेवा विभाग, दंत शल्य चिकित्सा कक्ष सहायक (DORA) (श्रेणी 'सी' पद) भर्ती विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर -- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा अन्य संबंधित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अयोग्यता -- कोई व्यक्ति—

(a) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(b) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस विनियमन के लागू होने से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति -- जहां केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा तथा लिखित में कारण रिकॉर्ड करके किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध में छूट दे सकती है।

6. व्यावृति -- इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित अथवा अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
दंत शल्य चिकित्सा कक्ष सहायक	*05 (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	श्रेणी 'सी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900-63200)	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। विभागीय उम्मीदवारों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी जा सकतीहै। आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शेक्षिक और अन्यआहर्ताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
7	8	9
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण, जिसमें जीव विज्ञान एक विषय के रूप में हो, और (ii) दंत शल्य चिकित्सा कक्ष सहायक यादंत चिकित्सा सहायक में भारतीय दंत परिषद द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा; टिप्पणी1: योग्यता में छूट दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार उन उम्मीदवारों के मामले में दी जा सकती है जो अन्यथा पूरी तरह से योग्य है। टिप्पणी-2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबन्धित उम्मीदवारों के मामले में, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यताओं मे छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो की इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे जिनके पास उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव हो।	लागू नहीं।	दो वर्ष। टिप्पणी: सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधी भर्ती हेतु कम से कम दो सप्ताह की प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति और समामेलन द्वारा होगी और विभिन्न पद्दतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति /समामेलन द्वारा भर्ती के मामले/ वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समामेलन किया जाना है ।**	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**निम्न परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
10	11	12	13
100% सीधी भर्ती। टिप्पणी: किसी पदधारी व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने पर रिक्तियों को, केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है , -	लागू नहीं	**विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :-** 1. निदेशक (कार्मिक) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद – अध्यक्ष। 2. निदेशक (मेडिकल सर्विसेज)/दंत चिकित्सा विभाग के प्रमुख, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद: सदस्य। 3. संयुक्त निदेशक (संबंधित स्थापना) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(क) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; और (ख) कालम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव होना।			

सतीश कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक-II)

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2026

F. No. A-12011/26/2023-H(Estt.)-II/D-362.—In exercise of the powers conferred by clause (c) and (e) of sub-section (1) of section 43 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) and with the approval of the Central Government in terms of sub-section (2) of section 387 of the said Act, the New Delhi Municipal Council hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dental Operating Room Assistant (DORA) in Medical Services Department, New Delhi Municipal Council, namely:-

1. Short title and commencement— (1) These regulations may be called the Ministry of Home Affairs, New Delhi Municipal Council, Medical Services Department, Dental Operating Room Assistant (DORA) (category 'C' post) Recruitment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix,—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.,— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification,-— No person,---

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the New Delhi Municipal Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax,— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving,— Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Dental Operating Room Assistant.	*05 (2026) *subject to variation dependent on workload.	Category 'C'.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age-limit will be as advertised by Delhi Subordinate Services Selection Board.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of Probation, if any.**
7	**8**	**9**
(i) 12^{th} pass in Science, with Biology as a subject, from a recognized Board; and (ii) Diploma in Dental Operating Room Assistant or Dental Assistant approved by Dental Council of India; Note1: The qualifications are relaxation at the discretion of theDelhi Subordinate Services Selection Board or competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note2**:** The qualifications regarding experienceare relaxable at the discretion of theDelhi Subordinate Services Selection Board or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, theDelhi Subordinate Services Selection Board or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successfully completion of probation as specified by the competent authority.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
10	**11**	**12**	**13**
Hundred percent direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not Applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):-** 1. Director (P), New Delhi Municipal Council: -Chairperson; 2. Director (Medical Services)/ Head of Dental Department, New Delhi Municipal Council: Member; 3. Joint Director (concerned Establishment), New Delhi Municipal Council: Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

SATISH KUMAR SINGH, Director (P-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.04.06 11:54:47 +05'30'